



CENTRAL SILK BOARD

Ministry of Textiles [Govt. of India]

No CSB-2(1)2019-20/Accts

Dated 13.06.2019

URGENT

CIRCULAR

Sub: Release of Plan-Salary/Plan-General/Plan Capital Grants /
To exercise Economy Measures & Rationalization of expenditure -
Regarding.

It is hereby informed that Ministry of Textiles, had released GIA of 25% (Vote on Account) for the 1st Quarter of 2019-20 to CSB to meet the expenditure towards payment of Salaries, Revenue nature and Capital nature i.e. for the first 4 months. The GIA released by MoT for the 1st Quarter is not sufficient to meet the committed expenditure of CSB. Further, it is to inform that the funds for the 2nd Quarter is likely to be released in August 2019 as the Union Budget for the year 2019-20 will be presented during July 2019 and as such it may take some time for release of Funds to CSB.

Therefore, all the Unit In-Charges are strictly advised that the actual / minimum requirement of funds especially towards the statutory related expenditure under Plan-Gen. from June 2019 to August 2019 only needs to be indented so as to meet the Revenue expenditure and all other expenses may be postponed. Austerity measures and economy in expenditure need to be strictly observed. Hence, the Central Silk Board Institutes/Units are requested to curtail the Plan-Gen. expenditure to the maximum extent possible except the statutory payments viz. Electricity & water charges, Telephone, Rent & Taxes etc. in view of budget constraints being faced as of now.

The purchase of Assets and payment of Advance deposits for various civil works may be postponed till the receipt of the 2nd quarter 2019-20 funds from the Ministry.

This may be treated as **Most Urgent and important.**


(DR. NARENDAR REBELLY)
DIRECTOR (FINANCE)

To:

All the CSB Institutes / units

CSB Complex, B.T.M.Layout, Madiwala,
BANGALORE – 560 068, INDIA
Phone: +91 80 26282619/2307; Fax: +91 80 26781458
E-mail: accounts.csb@nic.in



CENTRAL SILK BOARD

Ministry of Textiles [Govt. of India]

सं. केरेबो-2(1)/2019-20/लेखा

दिनांक 13.06.2019

अत्यावश्यक

परिपत्र

विषय : योजना-वेतन/योजना-सामान्य/योजना-पूँजी अनुदान का विमोचन/मितव्ययिता उपाय करने तथा व्यय के सुव्यवस्थीकरण करने के संबंध में ।

यह सूचित किया जाता है कि वस्त्र मंत्रालय द्वारा केरेबो को वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही के लिए 25% (लेखानुदान) सहायता अनुदान विमोचित किया गया जो प्रथम 4 महीनों के लिए वेतन, राजस्व प्रकृति तथा पूँजी प्रकृति के भुगतान के प्रति व्यय के लिए था । वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रथम तिमाही के लिए विमोचित सहायता अनुदान केरेबो के प्रतिबद्ध व्यय पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं । आगे यह सूचित करना है कि द्वितीय तिमाही के लिए निधि अगस्त 2019 में विमोचित होने की संभावना है क्योंकि वर्ष 2019-20 का केन्द्रीय बजट जुलाई, 2019 के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, अतः केरेबो को निधि विमोचित करने में कुछ समय लग सकता है ।

अतः सभी इकाई प्रभारियों को सख्त सलाह दी जाती है कि वे जून, 2019 से अगस्त, 2019 तक के लिए वास्तविक/न्यूनतम निधि की आवश्यकता, विशेष रूप में योजना-सामान्य के अन्तर्गत वैधानिक व्यय के लिए मांग भेजें ताकि राजस्व व्यय को पूरा किया जा सके तथा सभी अन्य व्यय को स्थगित किया जाए । व्यय में मितव्ययिता उपाय का सख्ती से पालन किया जाए । अतः केन्द्रीय रेशम बोर्ड के संस्थानों/इकाईयों से अनुरोध है कि वर्तमान के बजट की बाध्यताओं के मददेनज़र वैधानिक भुगतान नामतः बिजली व जल प्रभार, दूरभाष, किराया व कर आदि को छोड़कर योजना-सामान्य व्यय यथासंभव कम करें ।

परिसम्पत्ति के क्रय तथा विविध सिविल कार्य के लिए अग्रिम जमा का भुगतान मंत्रालय से 2019-20 की द्वितीय तिमाही के लिए निधि प्राप्त होने तक स्थगित किया जाए ।

इसे अतिआवश्यक एवं महत्वपूर्ण माना जाए ।

(डॉ. नरेन्द्र रेबेल्ली)

निदेशक (वित्त)

सेवा में,

केरेबो के सभी संस्थान/इकाई

CSB Complex, B.T.M.Layout, Madiwala,
BANGALORE – 560 068, INDIA

Phone: +91 80 26282619/2307; Fax: +91 80 26781458

E-mail: accounts.csb@nic.in